न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 –140/14
दायरा दिनांक –30.10.2014
निर्णय दिनांक –24.10.2019

बउनवान

1. छीतरलाल आयु 65 वर्ष जाति मीणा पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी रामपुरा लाखाखेडी तहसील किशनगंज जिला बारां

वादी

–:बनामः–

1. बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी सब्जीमण्डी टेक जिला बारां
1/1 करूणा
1/2 अशोक
1/3 निलिमा/ स्व0 मनोज
1/4 मनोज (मृतक)
1/5 भानू
2. संतोष पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण
3. राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति ब्रहमण
4. प्रमोद पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण
5. रविकांन्त दत्तक पुत्र रमाकांत जाति ब्राहमण निवासीगण सब्जीमण्डी की टेक बारां जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 63(4)एवं 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः–24.10.2019

वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 63(4) एवं 188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक सतीश शर्मा ने इस आशय का पेश किया –

1. यह कि ग्राम लाखाखेडी पटवार क्षैत्र दीगोदपार तहसील किशनगंज की आराजी जमाबन्दी सम्मत 2068–71 जमाबन्दी संख्या नया 72 पुराना 70 की आराजी ख0न0 88 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, लगानी 3.27 रूपये, ख0न0 157 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा लगानी 5.22 रूपये कुल 2 किता कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा लगानी 8.49 रूपये स्थित है। जिसे आगे वादपत्र मे विवादित आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादपत्र की चरण क्रम 1 मे वर्णित आराजियात् पर जायज अर्सा 70–80 वर्षो से वादी व उसके पूर्वजो का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा

है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.55 को भी वादी के पिता धन्नालाल जी का कब्जा काश्त था इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक को कब्जा होने के आधार पर स्वतः ही वादी के पिता धन्ना लाल खातेदार हो चुके थे किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के पिता धन्नालाल जी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन नही किया किन्तु धन्नालाल जी के जीवनकाल तक उनका कब्जा काश्त रहा उनके देहान्त के बाद से वादी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि गिरदावरियों से भी होती है जिसमे जैली काश्त के रूप मे वादी के पिता धन्नालाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है तथा प्रतिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण जी द्वारा एक वाद न्यायालय ए0सी0एम0 बारां मे धारा 183 आर0टी0ए0 का लक्ष्मीनारायण बनाम धन्नालाल प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.05.1971 को खारिज फरमाया गया है जिसमे भी वादी के पिता धन्नालाल का पूर्व से कब्जा लक्ष्मीनारायण जी द्वारा स्वीकार किया हुआ है इस प्रकार जायज अर्सा 70–80 वर्षो से वादी एवं उसके पिता धन्नालाल जी का कब्जा निरन्तर चले आने के कारण वादी के हक व हकूक परिपक्व हो चुके है इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

3. यह कि वादी के पिता धन्नालाल जी द्वारा ही वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात् को नोतौड कर खाल खददर सही करके काफी धन व श्रम खर्च कर काबिल काश्त बनाया है तथा उक्त आराजियात् को निरन्तर 70–80 वर्षो से पहले वादी के पिता धन्नालाल तथा उनके देहान्त के बाद से वादी निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है वादी व उसके पिता के अलावा अन्य किसी मे या प्रतिवादीगण या प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा कभी भी काश्त नही की गई केवल राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से 15.10.55 को वादी के पिता धन्नालाल का कब्जा होने के बावजूद प्रतिवादीगण के पूर्वजो का नाम अंकित कर दिया है। जिसे हटवा कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर वादी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करा पा सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।
4. यह कि वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण से उनका नाम हटवाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने के लिये कहने पर तथा उनके द्वारा टालमटूल करने व स्पष्ट रूप से दिनांक 15.10.2014 को इन्कार करने पर तहसीलदार किशनगंज से निवेदन करने पर तहसीलदार किशनगंज द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप मे जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने पर दिनांक 29.10.14 को अंतिम रूप से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

5. यह कि मांगीलाल व रमाकांन्त का देहान्त हो चुका है। मांगीलाल के वारिस एवं कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 है तथा रमाकांत का कायम मुकामान एवं वारिस प्रतिवादी क्रम 5 है इनके अलावा मांगीलाल व रमाकांत के अन्य कोई वारिस व कायम मुकामान नही है इस प्रकार मांगीलाल व रमाकांन्त के देहान्त होने पर उनके वैधानिक वारिसान को पक्षकार बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत है।
6. यह कि राज0 सरकार सर्वोच्च भू–स्वामी होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी क्रम 6 को राज0 सरकार के प्रतिनिधी के रूप मे पक्षकार बनाया गया है।
7. यह कि वाद शीघ्र सुनवाई का होने के कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस की मियाद समाप्त नही होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. यह कि लगान का 25 गुना कायम किया जाकर वाद निश्चित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
9. यह कि माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।
10. यह कि अन्य वजूआत वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि –

(1) ग्राम लाखाखेडी की आराजी ख0न0 88 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व ख0न0 157 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(2) यह कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादी क्रम 4 स्वयं उपस्थित प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से एड0 भगवान लाल नरवरिया ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी क्रम 4 की आदेशिका दिनांक 16.04.2015 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। आदेशिका दिनाक 22.07.19 को प्रतिवादी 5 आदेशिका दिनांक 04.09.19 से प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/5, 2, 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधि0 ने साक्ष्यवादी मे pw-1 छीतरलाल, pw-2 मानसिंह के बयान लेखबद्व करवाये गये। दौराने बयान छीतरलाल pw-1 ने जाहिर किया –

ग्राम लाखाखेडी रामपुरिया मे आराजी ख0न0 88 व 157 की कुल 14 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी बद्रीलाल,मांगीलाल व रमाकान्त के खाते दर्ज है। इस जमीन पर जब से मेने होश सम्भाला तब से काश्त करता हूँ। पहले

मेरे पिता जी काश्त करते थे। इस जमीन को 70–80 वर्ष से काश्त करते चले आ रहे है। खातेदार बद्रीलाल मांगीलाल व रमाकान्त फौत हो चुके है। प्रतिवादीगण मृतक के विधिक वारिस है। इस जमीन के बाबत् न्यायालय एसीएम बारां मे लक्ष्मीनारायण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 का किया था। जिसमे लक्ष्मीनारायण ने वादग्रस्त आराजी पर धन्नालाल का कब्जा माना था। यह दावा खारिज हुआ था। उसकी नकले मेने पत्रावली मे पेश की है। मेने वादपत्र मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 पेश की है प्रदर्श p-1 है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 प्रदर्श p-2 है तथा ख0न0 88 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020–23 पेश की है। जो प्रदर्श p-3 हैं। प्रदर्श 2 व प्रदर्श–3 मे खसरा सं0 88 एवं 157 मे जेली काश्तकार धन्नालाल मीणा का नाम दर्ज है। जो मेरे पिता थे। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032–35 प्रदर्श p-4 है। लक्ष्मीनारायण ने वादग्रस्त आराजी के बेचान के बदले राशि 250/– प्राप्त किये थे। जिसकी रसीद प्रदर्श–p-5 है। मेने अपने वकील से नोटिस प्रेषित करवाया जो प्रदर्श p-6 है। पूर्व मुकदमा ख0स0 64/67 एसीएम न्यायालय बारां की जनरल INDEX प्रदर्श p-7 है तथा नकल आर्डर शीट प्रदर्श p-8 है। नकल वाद पत्र प्रदर्श p-9 है। वादग्रस्त आराजी पर हमारे द्वारा काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से ही खेती करी जा रही थी। मेने न्यायालय से चाहता हूँ कि वादग्रस्त आराजी पर मुझे खातेदार घोषित किया जावे व रिकॉर्ड मे मेरे नाम अंकन किया जाये।

वादी अधि0 और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0 की साक्ष्यवादी समाप्त की गई। प्रतिवादी साक्ष्य मे पेरोकार सरकार ने कोई साक्ष्य पेश नही की एवं पेरोकार सरकार की साक्ष्य बन्द की गई। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। दौराने बहस वादी अधि0 ने वादपत्र मे अंकित बिन्दूओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा ना ही कभी उसको काश्त किया प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से आवंटन करा ली। सिकमी काश्तकार थे वादीगण को काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तहसीलदार किशनगंज से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मौके पर वादी का कब्जा है। आद्योपान्त विवेचनानुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,63(4) 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–:क्रियात्मक आदेश :–

वाकेग्राम लाखाखेडी की आराजी ख0न0 88 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख0न0 157 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों की

करावे। निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.11.27 16:19:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: